

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक: आई.डी.एस.पी/कोरोना/2020/1144

दिनांक: 9-9-2020

PERFECT IMAGING AND DIAGNOSTIC CENTRE,  
Plot no. 1, Grenede Marg, Khatipura Main Road,  
Pratap Nagar Between M.P & BHARAT Petrol Pumps,  
Jaipur.

विषय:-कोविड-19 के सेम्पल कलेक्शन बाबत।  
संदर्भ:- आपके पत्रांक दिनांक 19.08.2020 के क्रम में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (1)चि.स्वा/गुप-2/2020 जयपुर दिनांक 20.06.2020 के बिन्दु संख्या 11 की पालना में प्रदेश में कोविड-19 की जांच का कार्य केवल राजस्थान राज्य के लिए आई.सी.एम. आर द्वारा अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं द्वारा ही किया जा सकता है। अन्य राज्यों हेतु आई.सी.एम. आर द्वारा अनुमोदित निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड-19 की जांच नहीं की जा सकती। अतः सूचनार्थ प्रस्तुत है।

  
निदेशक (जन0.स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान, जयपुर।  
दिनांक: 9-9-2020

क्रमांक: आई.डी.एस.पी/कोरोना/2020/1144

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक जोन-राजस्थान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
4. प्रभारी सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल करने व वेबसाईट पर अपलोड करने वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

  
निदेशक (जन0स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,  
राजस्थान, जयपुर।